Case No. 419/23

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-999/MP/153/2023-RO-BH

डॉ. इलैयाराजा टी.
जिला कलेक्टर
जिला - इंदौर
कलेक्टर कार्यालय,
नया प्रशासनिक परिसर
मोती तबेला, इंदौर-452007
मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmindore@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक **11/04/2023 को 15:30 PM बजे**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान माकेट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :- आदिवासी युवती की कथित रूप से बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से एक आदिवासी युवक की मृत्यु के संबंध में दिनांक 16-03-2023 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार - शीर्षक "पुलिस से झड़प, फायरिंग में आदिवासी युवक की मौत" के सम्बंध में।

संदर्भ 1. कलेक्टंर कार्यालय का पत्र क्र.690/अ.क.री/23, दिनांक-17-03-2023

संदर्भ 2. कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक इंदौर (ग्रामीण) का पत्र क्र. पुमनि/इंदौर/क्राईम/एफ-11/1400-02-ए/22,दिनांक17-03-23

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **31/03/2023** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003